उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-24/2019/1750/तीस-4-2019-08(6)पी-17
लखनऊ : दिनॉक 12 दिसम्बर, 2019

संशोधन/शुद्धि-पत्र

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच पारस्परिक करार के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-7/2018/307/तीस-4-2018-08(6)पी-17, दिनांक 28 फरवरी, 2018 निर्गत किया गया है।

2- उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी प्रारूप के अनुलग्नक-1 के क्रमांक-133 के सम्मुख कॉलम संख्या-2 में रोहतक-आगरा-वाया-दिल्ली मार्ग अंकित है जबकि हिन्दी प्रारूप के अनुलग्नक-1 के क्रमांक-133 के सम्मुख कॉलम संख्या-2 में रोहतक-आगरा-वाया-दिल्ली के स्थान पर रोहतक-हरिद्वार- वाया-दिल्ली मार्ग त्रुटिवश अंकित हो गया है।

3- अत: अधिसूचना संख्या-7/2018/307/तीस-4-2018-08(6)पी-17, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के हिन्दी प्रारूप के अनुलग्नक-1 में क्रमांक-133 पर अंकित मार्ग रोहतक-हरिद्वार-वाया-दिल्ली के स्थान पर रोहतक-आगरा-वाया-दिल्ली पढ़ा जाय।

4- अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-
(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2019/1750(1)/तीस-4-2019-08(6)पी-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0/-
(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-24/2019/1750(2)/तीस-4-2019-08(6)पी-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया निदेशक सूचना विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2- समस्त संभागीय /सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।